न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 02/2018

जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00060

| प्रार्थी :– | बनाम | अप्रार्थी:– |
|---|---|---|
| सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट जिला पाली | | खरताराम पुत्र भेराराम भांबी निवासी जैतपुर तहसील रोहट जिला पाली |

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– सरकारी पैरोकार उपस्थित सुरेन्द्र सिंह लबाना उपस्थित

अधिवक्ता अप्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक:–15.02.2021

तहसीलदार रोहट द्वारा यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी बी सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की खसरा नम्बर 818/109 रकबा 15.00 बीघा किस्म बा.अ. में खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबंदी संवत 2071–74 से उक्त भूमी पूर्व में मिसल बन्दोबस्त संवत 2019 में गैर मुमकीन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन उपखण्ड अधिकारी पाली के आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1964 के द्वारा अप्रार्थी के हक में किया गया। उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में भरे गये नामान्तरकरण संख्या 135 दिनांक 19.07.1971 बिना किसी भूमि के किस्म परिवर्तन के भरे गया। चूँकि उक्त भूमी की किस्म गैर मुमकीन नदी होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमी की श्रेणी में होने से इसका आवंटन/नियमन किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जिसे निरस्त कर पुनः पूर्व अवस्था में दर्ज कराने एवं माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 1536/03 में दिए गए निर्देशों की पालना में संवत 2004 की स्थिति बहाल कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी ने उक्त भूमी को स्वयं खर्चे से जैर बार होकर काबिल काश्त बनाया है तथा वर्तमान में वहां पर किसी भी प्रकार की नदी या नाले का बहाव नहीं है। तथा उक्त भूमी अप्रार्थी के आजीविका का एकमात्र साधन है। अतः उक्त आवंटन को बहाल रखा जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम जैतपुर पटवार हल्का जैतपुर तहसील रोहट के खसरा नम्बर 818/109 कुल रकबा 15 बीघा जिसकी किस्म गैर मुमकिन नदी होने व उपखण्ड अधिकारी पाली के आदेश दिनांक 25.06.1964 के द्वारा यह भुमि अप्रार्थी के हक में आवंटन कि गई। तथा अप्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 135 दिनांक 19.07.1971 को बिना भूमी के किस्म परिवर्तन के भरा गया। तथा बाद में जमाबंदी संवत 2070–2073 में किस्म बा.अ. दर्ज कर दी। जो प[illegible] संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से पूर्णतया स्पष्ट है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमि का आवंटन [illegible] है तथा राजस्थान भू राजस्व की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत है। अतः अप्रार्थी के [illegible] में उपखण्ड अधिकारी पाली के आदेश दिनांक 25.[illegible]1964 की पालना में [illegible] गया भूमि आवंटन/नियमन विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:49:51 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश ...........2

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा किया गया आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 25.06.1964 व उसकी पालना में भरे गये ग्राम जैतपुर तहसील रोहट के नामान्तरकरण संख्या 135 दिनांक 19.07.1971 को निरस्त करावे।

( अंश दीप )
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:49:51 IST
Reason: SelfAttested